

पेश नहीं किया। अतः अंतिम अवसर
वाली पेश करने कायम मुकाम हेतु
6/11/23 को पेश हो

U
20/6

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

6/11/23 पत्रावली पेशा वकील उच्च पक्ष
अपस्थित। पत्रावली के वकील वादी को
कायम मुकाम पेशा करने हेतु अंतिम
अवसर दिया गया था परन्तु पेशा
करने में विफल रहे पुनः। सातह
का समय दिया जाता है न्याय हितके
पत्रावली 13/11/23 को पेश हो

13/11/23

पत्रावली पेशा

U
सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

वकील वादी कायम मुकाम कार्य हेतु
दोनों पक्षों के बीच की समझौता हेतु
दिनांक 8/11/23 को पेशा

U
सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

08.08.23

पत्रावली पेशा/ वकील उच्च पक्ष अपस्थित/


वादी व प्रतिवादी अधिवक्ताओं ने वादी
व प्रतिवादी की ओर से वाद की आज्ञा
चलाने हेतु कार्य की Instruction नहीं
दोने बाबत सूचित किया/ वादीगण व

No Instruction

Signature
Date

—मातार

प्रतिवादीगण न तो फर्म उपस्थित करें
न ही अन्य कोई अधिकृत उन्नी कोर
से उपस्थित। अतः CPC के आदेश-9
नियम-3 के प्राधान्य अनुसार समझित
वाद संख्या 4/15 व 10/15 (जस वाद
संख्या 17/21) खारिज किया/किए जाते हैं।
पत्रावली में पेंसल शुमार दोहरा नम्बर
से कर है।


सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)